



राजभवन

राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड

संख्या २७६९ / जी०एस० (अधि०/बी-१७९ (ट०सी०) / २०२१

देहरादून दिनांक अक्टूबर, २०२२

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के मेधावी/प्रतिभाशाली छात्र/छात्रायें जो बी०पी०एल० श्रेणी में आते हों तथा जिनके माता/पिता जीवित न हो अथवा अनाथ हों तथा जो राजकीय उच्च शिक्षण संस्थानों एवं केन्द्र सरकार के राजकीय संस्थानों अथवा समकक्ष राजकीय अधिल भारतीय संस्थानों में व्यवसायिक पाठ्यक्रम यथा— मेडिकल/इंजीनियरिंग/भारतीय प्रबन्धन संस्थान आदि में प्रवेश हेतु चयन हुआ हों, परन्तु शुल्क वहन करने में असमर्थ हैं, ऐसे छात्र/छात्रायें आर्थिक सहायता हेतु अपना आवेदन—पत्र स्व—प्रमाणित अभिलेखों सहित दिनांक ३० नवम्बर, २०२२ तक राज्यपाल सचिवालय उत्तराखण्ड, न्यू कैन्ट रोड़, देहरादून में जमा कर सकते हैं। अपूर्ण/अपठनीय व निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6
20/10/2022

(जी०डी० नौटियाल)
अनुसचिव श्री राज्यपाल

आवेदन—पत्र का प्रारूप

१—आवेदक का नाम—

२—पिता/माता/पति/अभिभावक का नाम—

४—उत्तराखण्ड के मूल निवासी का प्रमाण—पत्र संख्या—

दिनांक—

(प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न कर)

(एकल माता/पिता/अनाथ छात्र/छात्रा की स्थिति में अभिभावकों का मृत्यु प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

५—पत्राचार का पता—

६—मोबाइल नम्बर—

७—संस्थान का नाम व पता जिसमें चयन हुआ है—

८—पाठ्यक्रम का नाम जिसमें चयन हुआ है—

(अंक पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

९—पिता/माता/अभिभावक की कुल मासिक आय—

(आय प्रमाण—पत्र छः माह से अधिक पुराना न हो तथा आवेदक छात्र/छात्रा बी०पी०एल० श्रेणी में आता हो)

१०—आधार कार्ड संख्या—

(प्रति संलग्न करें)

११—बैंक खाते का विवरण—बैंक का नाम—

खाता संख्या—

आईएफएससी कोड—

(बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ अथवा कैंसिल चैक की प्रति संलग्न करें)

दिनांक—

आवेदक के हस्ताक्षर